परिचायक-टिप्पणी

जहां तक व्यय संबंधी व्यवस्थाओं का संबंध है यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार के बजट का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है। इसे तीन भागों अर्थात्, भाग-I सामान्य, भाग-II आयोजना-भिन्न व्यय, और भाग-III आयोजना परिव्यय में बांटा गया है। विवरण और अनुबन्ध, जो इस पुस्तक का एक हिस्सा है., स्वतः स्पष्ट हैं और उनका उल्लेख आलेख में यथास्थान किया गया है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मामले में विभिन्न विवरणों में शामिल की गई व्यय व्यवस्थाएं वसूलियां और प्राप्तियां घटाकर दिखाई गई हैं ताकि व्ययों और प्राप्तियों के आंकड़ों का बहुत अधिक विस्तार न हो। इसी प्रकार, राज्यों को दिए गये ऐसे अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों को, जिनको उसी वर्ष के दौरान वसूल कर लिया गया है, घटाकर प्रदर्शित किया गया है।

2. इस पुस्तक में प्रस्तुत व्यय के अनुमानों में, रेलवे मंत्रालय के लेन-देनों के विस्तृत विश्लेषण को सम्मिलित नहीं किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण में रेलवे मंत्रालय सहित केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों का व्यय शामिल किया गया है।

3. संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के द्वारा संसद की स्वीकृति व्यय की "सकल" राशियों के लिए मांगी गई है, जिनमें उन "वसूलियों" को हिसाब में नहीं लिया गया है जिन्हें खातों में व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। इन वसूलियों की राशियों को अनुदानों की सम्बन्धित मांगों में भी दिखाया गया है। खाते में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को, इन वसूलियों को घटाने के बाद, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, व्यय की विभिन्न मदों को समुचित रूप में स्पष्ट करने के लिए, इस पुस्तक में, कुछ गैर-ऋण प्राप्तियों को भी घटाया गया है। इस पुस्तक के अनुबंध-1 में खाते के प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार के समायोजनों के बाद व्यय को दिखाया गया है। अनुबंध 2 में अनुबन्ध 1 में दिए गए जोड़ों तथा वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के जोड़ों और अनुदानों की मांगों का मिलान किया गया है।

4. सरकार ने वित्त वर्ष 2011-12 से आयोजना आवंटनों के भाग के रूप में अनुसूचित जनजाति उपआयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उपआयोजना (टीएसपी) के लिए पृथक आवंटन करने की पहल की है। ये आवंटन योजना आयोग और संबंधित मंत्रालय/विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दर्शाए भी गए हैं। सरकार ने एससीएसपी और टीएसपी के लिए बजटीय आवंटन सही-सही दर्शाने हेतु लेखा तंत्र की व्यवस्था की है। इन लेखा शीर्षों के तहत किए गए प्रावधान पुनर्विनियोजित नहीं किए जा सकते। विवरण 21 और 21क क्रमशः एससीएसपी और टीएसपी हेतु बजटीय आवंटनों को दर्शाते हैं।

5. व्यय बजट खण्ड 1 और 2 में 2011-12 के वास्तविक आंकड़े अनन्तिम हैं।